(का.) 07692–220444
(नि.) 07692–220301
(फैक्स) 07692–220990

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिवनी (म.प्र.)

Email Id- deoseonilocalelection@gmail.com, Phone No-07692-226456

क्रमांक / 292 / स्था.निर्वा. / स्टोर / निविदा / 2020, सिवनी, दिनांक 29 / 10 / 2020

रबर की मोहरों के लिये निविदा सूचना

क्रमांक एफ–80–08 / 2019 / सात / 410 एवं 412 भोपाल, दिनांक 10 / 10 / 2019 सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के निर्देशानुसार आगामी त्रि–स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन एवं नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2020–21 के रबर की मोहरों को विवरण अनुसार क्रय किया जाना है। निर्वाचन सामग्री क्रय किये जाने के लिये मध्यप्रदेश के समस्त रबर की मोहरों के विक्रेताओं से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदाकर्ता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला–सिवनी के नाम से रूपये 500 / – का डी.डी. / बैंकर्स चैक या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं 02–निर्वाचन 800–अन्य प्राप्तियां हेड में भारतीय स्टेट बैंक में चालान के माध्यम से जमाकर एक प्रति स्थानीय निर्वाचन शाखा में जमाकर दिनांक 19 / 11 / 2020 दोपहर 02:00 बजे तक निविदा फार्म प्राप्त कर सकते हैं। निविदा संबंधी संपूर्ण जानकारी वेबसाईट **www.seoni.nic.in** से प्राप्त की जा सकती है तथा निविदा दिनांक 20 / 11 / 2020 को दोपहर 02:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा वर्ष 2020–21 हेतु प्रभावी होगी तथा आवश्यकतानुसार पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध होने वाले निर्वाचन के लिये सामग्री की आवश्यकता होने पर निविदा के आगामी वर्ष के लिये निरंतर रखने पर विचार किया जा सकेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 20 / 11 / 2020 को शाम 04:00 बजे उपस्थित समिति सदस्यों एवं निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जावेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था. निर्वा.) जिला–सिवनी

निविदा की शर्तें

1. निविदा कार्यालयीन समय में (अवकाश दिवस को छोड़कर) में दिनांक 20 / 11 / 2020 को अपरान्ह 02:00 बजे तक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) शाखा के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। निविदा प्रपत्र सीलबंद लिफाफे पर ''निर्वाचन सामग्री प्रदाय हेतु निविदा'' लिखा अंकित होना तथा निविदाकार का पूर्ण पता अंकित होना आवश्यक है।

2. निविदा दो लिफाफा पद्धति के अनुरूप होगी। निविदाकार को एक लिफाफे में भाग 01 (तकनीकी प्रस्ताव) आवेदन–पत्र, घोषणा–पत्र, प्रमाण–पत्र, फार्म की राशि की रसीद / डी.डी., अमानत राशि की रसीद / पेन नंबर, जीएसटी नंबर, अनुभव प्रमाण–पत्र, आयकर रिटर्न, टर्नओवर प्रमाण–पत्र इत्यादि तथा दूसरे लिफाफे में भाग 02 केवल वित्तीय प्रस्ताव लेख कर प्रस्तुत करना होगा। दोनों लिफाफा सीलबंद कर एक बड़े लिफाफे के अंदर रखकर जमा करना होगा।

3. प्राप्त तकनीकी निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे समिति द्वारा नियत दिनांक एवं समय पर खोले जाएंगे, जिन निविदाकारों की निविदा के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा आवश्यक प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न नहीं होगी वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी अर्थात् तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने वाले निविदाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

4. प्रत्येक निविदा के साथ प्रतिभूति **(अमानत) की राशि 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र)** का डिमांड ड्राफ्ट एवं निविदा फार्म की राशि 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) की डी.डी./बैंकर्स चैक या 0070–अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 02–निर्वाचन, 800–अन्य प्राप्तियां हेड में रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चालान के माध्यम से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिवनी के पक्ष में जमा की जाना आवश्यक है। बिना अमानत राशि एवं निविदा फार्म राशि चालान/डी.डी./बैंकर्स चैक प्रस्तुत निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

5. सफल निविदाकार को छोड़कर अन्य सभी निविदाकारों की जमानत राशि लौटा दी जावेगी।

6. आवश्यकता पड़ने पर समिति द्वारा सामग्री की मॉग कर परीक्षण किया जा सकता है। सामग्री का साईज, नाप–तौल आदि निविदा में अंकित करना अनिवार्य है। साथ ही नमूना सामग्री (सीलबंद) पर आपकी फर्म/दुकान की सील होना आवश्यक है।

7. निविदा में दर प्रति नग, प्रति दर्जन, प्रति सैकड़ा या प्रति हजार आदि जैसी भी स्थिति हो अंकित किया जाना आवश्यक है। निविदा सामग्री की सूची के अनुक्रमांक अनुसार सामग्री की साईज दर अंकित करना होगा। प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित मान्य होगी।

8. सफल निविदाकार को रूपये 500/– (रूपये पांच सौ मात्र) के स्टाम्प पेपर पर एक लिखित इकरारनामा देना होगा जिसका नमूना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस इकरारनामा के अंतर्गत सफल निविदाकार के असफल होने पर अन्य व्यवस्था करने पर हुये अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि या राजस्व वसूली के रूप में की जा सकेगी।

9. सफल निविदाकार से सामग्री नमूना मांगी जाएगी तथा प्रदाय की गई कोई भी सामग्री नमूने के अनुसार न होने पर अथवा उससे निम्न स्तर की होने की दशा में ऐसी सामग्री निविदाकार को अपने व्यय पर इस कार्यालय से वापस ले जाना होगा।

10. निविदाकार का चयन सर्वप्रथम तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा भाग–01 के अनुरूप होगा। तकनीकी प्रस्ताव में अनुत्तीर्ण होने की दशा में संबंधित निविदाकार का वित्तीय/लिफाफा भाग–02 नहीं खोला जायेगा। चयन तकनीकी प्रस्ताव उत्तीर्ण होने के बाद अनुभव उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्टॉक एवं वित्तीय प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा।

11. यह निविदा वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु प्रभावी होगी तथा आवश्यकतानुसार पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध निर्वाचन हेतु सामग्री की आवश्यकता होने पर निविदा को आगामी समय के लिए निरंतर रखने पर विचार किया जावेगा जो सफल निविदाकार को मान्य होगा।

12. निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सफल निविदाकार को इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले मांग–पत्र (सामग्री प्रदाय आदेश) के अनुसार सामग्री तत्काल प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

13. सफल निविदाकार को अपने व्यय पर सामग्री कार्यालय पर पहुंचाना होगा। इसके लिये स्वीकृत दर के अतिरिक्त पृथक से सामग्री की ढुलाई आदि के लिये कोई राशि नहीं दी जावेगी।

14. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिवनी को होगा।

15. किसी भी प्रकार के विवाद के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिवनी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

16. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा कि निविदाकार को समस्त निविदा शर्तें स्वीकार है।

17. निविदा में प्रस्तुत दरें समस्त कर सहित यथा आयकर/जी.एस.टी. आदि सहित मान्य की जावेगी। जिस पर नियमानुसार टैक्स भुगतान योग्य होगा।

18. निविदाकार के पास उनके फर्म के नाम से आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नंबर एवं जीएसटी पंजीयन नंबर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

19. प्राप्त तकनीकी निविदाओं के समस्त बंद लिफाफे समिति द्वारा नियत दिनांक एवं समय पर खोले जाएंगे। जिन निविदाकारों की निविदा के साथ अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट तथा आवश्यक प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न नहीं होगी, वह निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी अर्थात् तकनीकी रूप से पात्र पाये जाने वाले निविदाओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।

20. निविदाकार द्वारा सामग्री की समय–सीमा में व्यवस्था न करने पर जमा की गई प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जाएगी तथा उपरोक्त व्यवस्था खुले बाजार से कराई जायेगी तथा इस पर होने वाले अधिक व्यय (अंतर राशि) अथवा जो हानि होगी निविदाकार से भू–राजस्व की भांति वसूल कर समायोजन किया जावेगा।

21. निविदाकार को कम से कम किसी एक चुनाव में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए या इस प्रकार के वृहद कार्य का अनुभव होना चाहिए। उपरोक्तानुसार अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

22. निविदाकार के चयन के उपरांत यदि निविदाकार द्वारा किसी सामग्री का दिया गया दर शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक है तो शासन द्वारा निर्धारित दर मान्य होगा।

23. निविदा फार्म, निविदा शर्तें एवं विस्तृत जानकारी कार्यालयीन कार्य दिवसों एवं समय में दिनांक 17/11/2020 तक अपरान्ह 02:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस कार्यालय को प्राप्त हो जाना चाहिए।

पृ. कमांक/292-A/स्था.निर्वा./स्टोर/निविदा/2020, सिवनी, दिनांक 29/10/2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. आयुक्त, जनसंपर्क, जनसंपर्क भवन, बाणगंगा रोड, भोपाल की ओर समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) समस्त जिला, मध्यप्रदेश।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)..की ओर सूचनार्थ।
6. तहसीलदार.......................................समस्त की ओर सूचनार्थ। कार्यालय सूचना पटल पर निविदा चस्पा करें तथा स्थानीय संस्थाओं को सूचित करें।
7. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला सिवनी, निविदा सूचना एवं प्रपत्र को जिले की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. उप संचालक, सूचना एवं प्रकाशन (जनसंपर्क) सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।
9. प्रभारी अधिकारी, जिला नाजरात को सूचनार्थ प्रेषित। कृपया सूचना पटल पर प्रकाशित करने हेतु।
10. सर्व संबंधित..की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था. निर्वा.) जिला–सिवनी